संख्याः–606 / 79–6–15–1112 / 2011

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृत की प्रथम किश्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 /2895/2015–16 दिनांक 25.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत 3245 कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–48.6750 लाख (रू0 अड़तालिस लाख सरसठ हजार पांच सौ मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–16.2250 लाख (रू0 सोलह लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0–64.90 लाख (चौसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–796–जनजातीय उप योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.75/रा.25–के.+रा.)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–11–752/दस–2015 दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
15.7.15
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13 समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2014

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2015-16: Grant -81 (Tribal Sub Plan) PLAN
1st Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts in AWP	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/ month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/ month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Agra	0	3	0.0000	0.0000	0.00
2	Aligarh	0	2	0.0000	0.0000	0.00
3	Allahabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
4	Ambedkar nagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
5	Auraiya	0	2	0.0000	0.0000	0.00
6	Azamgarh	0	2	0.0000	0.0000	0.00
7	Badaun	0	2	0.0000	0.0000	0.00
8	Baghpat	0	2	0.0000	0.0000	0.00
9	Bahraich	50	2	0.7500	0.2500	1.00
10	Ballia	0	2	0.0000	0.0000	0.00
11	Balrampur	14	2	0.2100	0.0700	0.28
12	Banda	0	2	0.0000	0.0000	0.00
13	Barabanki	0	2	0.0000	0.0000	0.00
14	Bareily	0	2	0.0000	0.0000	0.00
15	Basti	0	2	0.0000	0.0000	0.00
16	Bhadohi	0	2	0.0000	0.0000	0.00
17	Bijnour	0	2	0.0000	0.0000	0.00
18	Bulandshahar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
19	Chandauli	0	2	0.0000	0.0000	0.00
20	Chitrakoot	0	2	0.0000	0.0000	0.00
21	CSM Nagar (Amethi)	0	2	0.0000	0.0000	0.00
22	Deoria	1256	2	18.8400	6.2800	25.12
23	Etah	0	2	0.0000	0.0000	0.00
24	Faizabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
25	Farrukhabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
26	Fatehpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
27	Firozabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
28	Gautambuddh ngr	0	2	0.0000	0.0000	0.00
29	Ghazipur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
30	Ghaziyabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
31	Gonda	0	2	0.0000	0.0000	0.00
32	Gorakhpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
33	Hameerpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
34	Hardoi	0	2	0.0000	0.0000	0.00
35	Hathras (Mahamaya Ngr)	0	2	0.0000	0.0000	0.00
36	Itawah	0	2	0.0000	0.0000	0.00
37	J.P. Nagar (Amroha)	0	2	0.0000	0.0000	0.00

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts in AWP	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/ month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/ month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
38	Jalaun	0	2	0.0000	0.0000	0.00
39	Jaunpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
40	Jhansi	0	2	0.0000	0.0000	0.00
41	Kannauj	0	2	0.0000	0.0000	0.00
42	Kanpur Dehat	0	2	0.0000	0.0000	0.00
43	Kanpur Nagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
44	Kashiram Nagar (Kasganj)	0	2	0.0000	0.0000	0.00
45	Kaushambi	0	2	0.0000	0.0000	0.00
46	Kushinagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
47	Lakhimpur Kheri	172	2	2.5800	0.8600	3.44
48	Lalitpur	72	2	1.0800	0.3600	1.44
49	Lucknow	0	2	0.0000	0.0000	0.00
50	Mahoba	0	2	0.0000	0.0000	0.00
51	Mahrajganj	0	2	0.0000	0.0000	0.00
52	Mainpuri	0	2	0.0000	0.0000	0.00
53	Mathura	0	2	0.0000	0.0000	0.00
54	Mau	0	2	0.0000	0.0000	0.00
55	Meerut	0	2	0.0000	0.0000	0.00
56	Mirzapur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
57	Muradabad	0	2	0.0000	0.0000	0.00
58	Muzaffarnagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
59	Pilibheet	0	2	0.0000	0.0000	0.00
60	Pratapgarh	0	2	0.0000	0.0000	0.00
61	Rai Bareily	0	2	0.0000	0.0000	0.00
62	Rampur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
63	Saharanpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
64	Santkabir Nagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
65	Shahjahanpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
66	Shravasti	28	2	0.4200	0.1400	0.56
67	Siddharthnagar	0	2	0.0000	0.0000	0.00
68	Sitapur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
69	Sonbhadra	1653	2	24.7950	8.2650	33.06
70	Sultanpur	0	2	0.0000	0.0000	0.00
71	Unnao	0	2	0.0000	0.0000	0.00
72	Varanasi	0	2	0.0000	0.0000	0.00
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR	0	2	0.0000	0.0000	0.00
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGA	0	2	0.0000	0.0000	0.00
75	SHAMALI (PRABUDDH NAG	0	2	0.0000	0.0000	0.00
TOTAL		3245		48.6750	16.2250	64.900

(अभिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

संख्याः–606/ 79–6–15–1112/2011

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृत की प्रथम किश्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 /2895/2015–16 दिनांक 25.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत 3245 कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–48.6750 लाख (रू0 अड़तालिस लाख सरसठ हजार पांच सौ मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–16.2250 लाख (रू0 सोलह लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0–64.90 लाख (चौसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–796–जनजातीय उप योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.75/रा.25–के.+रा.)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–11–752/दस–2015 दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13 समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2014